प्रेस विज्ञप्ति

एतद्द्वारा जनहित में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 872कं0से0/2018–11कं0से0(वेबबेस्ड वाहन–4.0) /16 दिनांक 01 फरवरी, 2018 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 12 फरवरी, 2018 से 17 फरवरी, 2018 तक उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बिजनौर में कर/पंजीयन सम्बन्धी समस्त कार्य का क्रियान्वयन कम्प्यूटर पर वाहन–4.0 सॉफ्टवेयर एन0आई0सी0 एवं बी0एस0एन0एल0 की संयुक्त टीम द्वारा किया जायेगा। जिसके कारण पूर्व में चालू वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध किसी प्रकार के आवेदन सम्बन्धी (पेन्डेन्सी) लम्बित कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। इसलिए दिनांक 09 फरवरी, 2018 से पूर्व समस्त लम्बित कार्य को पूर्ण किया जाना अतिआवश्यक है, क्योंकि वर्तमान वाहन सॉफ्टवेयर में जमा शुल्क एवं टैक्स पर किये गये आवेदन का निस्तारण वाहन–4.0 में नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत वाहन स्वामियों/डीलरों को निर्देशित किया जाता है कि वाहन पंजीयन/स्वामित्व हस्तान्तरण/एच0पी0ए0 पृष्ठांकन/निरस्त तथा अन्य कार्य सम्बन्धी आवेदन से सम्बन्धित (पेन्डेसी) लम्बित कार्य को दिनांक 08 फरवरी, 2018 को सायः 03.00 बजे तक अनिवार्य रूप से समाप्त करा लिया जाये तथा यह भी अवगत कराना है कि ***वाहन–4.0 सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिये कार्यालय दिनांक 12 फरवरी, 2018 से 17 फरवरी, 2018 तक छः कार्य दिवस में कार्यालय में जनता का कार्य बन्द रहेगा।***

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) बिजनौर

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बिजनौर

पत्रांक–1149/सा0प्र0/प्रेस विज्ञप्ति/2018 दिनांक–05.02.2018

प्रतिलिपि – निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा/आई0टी), उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर।
3. उप परिवहन आयुक्त, बरेली (परिक्षेत्र), बरेली।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद।
5. जिला सूचना अधिकारी बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनहित में निःशुल्क दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं अन्य क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. कार्यालय के समस्त कार्यालय सहायक/डी0बी0ए0 को अनुपालनार्थ।
7. समस्त डीलरों को अनुपालनार्थ।
8. कार्यालय आदेश गार्ड फाईल में।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) बिजनौर